

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या 576/भू अ०

दिनांक-21.08.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- नोनीहाट- बासुकीनाथ- केराबानी-पालोजोरी- बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु ग्राम-महुआडाबर, थाना-सारठ, थाना संख्या-397, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के कुल-0.13 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश-0.13 एकड़ है और जो ग्राम-महुआडाबर, थाना-सारठ, थाना संख्या-397, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामि त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	491	प्रधान का जोत	बांध	0.11	कार्तिक मियां वो जमाउद्दीन मियां वो चिराउद्दीन मियां पे० अमीन मियां वो सपेश्वर मियां वो मसरुद्दीन मियां पे० स्व० ताजउद्दीन मियां वो निजामुद्दीन अंसारी पे० स्व० सफरुद्दीन मियां वो आबुल सतार वो जलाउद्दीन मियां वो खेरुण बीबी माता करवा बीबी वो अनीउद्दीन मियां वो मुस्लिम मियां वो पांचू मियां पिता स्व० कादीर मियां वो तीतु मियां पे० स्व० हेमलती मियां वो चिराउद्दीन वो सिराजुद्दीन मियां वो अब्बास मियां वो फतयद्दीन मियां वो करुदीन मियां पे० स्व० मकसेद मियां वो आसीम बीबी पे० स्व० इमदाद मियां वो आयुब मियां वो आकुब मियां वो एनाउल मियां पे० स्व० दाउद मियां वो हारुण मियां पे० स्व० जनाल मियां वो मो० नुर वो जमालुद्दीन वो जमशेद वो समसुद्दीन मियां पे० स्व० रहमान मियां वो ताहिर मियां वो रासो मियां पे० स्व० कुशी मियां वो बबलू मियां वो जाबलु मियां वो अब्दूल मियां वो सिकेन्दर मियां वो वराकता मियां वो लियाकत मियां पे० स्व० दरोगी मियां।	निज	झगरू मियां-	दाग नं०- 583	दाग नं०- 509
2	4(क)	619	रैयती	धानी- 3	0.02	कयुम अंसारी वो अफरुद्दीन अंसारी वो फकरुद्दीन अंसारी पे० स्व० सौनावली अंसारी वो अजिम उदीन अंसारी पे० स्व० उमर अली वो फतीमा बीबी पिता रामजान अली वो ताजीम मिया वो काजीम मियां वो स्व० कुबार अली ।				
कुल योग-					0.13					

18-08-2017

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

16/8/17 देवघर

उपर उपायुक्त

देवघर

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक566..... / भू अ0, देवघर, दिनांक 21.08.2017

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

16/8/17 देवघर

उपर उपायुक्त

देवघर

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।